न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

कदमा संख्या 209/07 राजस्व विविध

हीराम पुत्र आसूराम जाट निवासी लिखमीदेसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

–प्रार्थी

: ब ना म :

1. रेवंतराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवसी लिखमीदेसर (उत्तरादा बास) तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला
3. तहसीलदार, पूगल

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970

1. प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अधिवक्ता
2. अप्रार्थी .1 की ओर से श्री सतपाल साहु अधिवक्ता।
3. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

: आदेश :

दिनांक 16.03.2020

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 रेवंतराम ने अपने को भूमिहीन बताकर नोशनल शेयर छिपाते हुए खसरा नं0 573 तादादी 75 बीघा ग्राम भानीपुरा तहसील बीकानेर में गलत रूप से भूमि आवंटन करवा लिया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त किया जावे।

2. अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं.1 की ओर से श्री सतपाल साहु अधिवक्ता उपस्थित आये।

3. बहस हेतु नियत पेशी पर अप्रार्थी के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु सहमति दी किन्तु लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की। तदन्तर प्रार्थी के अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गयी।

...टर, बीकानेर

4. प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थन पत्र के बिन्दूओ को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी सं. 1 रेवंतराम ने अपने को भूमिहीन बताकर खसरा नं. 573 की 75 बीघा भूमि आवंटन करवा ली। अप्रार्थी ने परिवारजनो के पास कितनी भूमि है, यह स्पष्ट नहीं किया कि अप्रार्थी के पिता अमराराम के पास दो गांवो की इतनी भूमि थी कि उसके नोशनल शेयर की गणना करने पर अप्रार्थी भूमिहीन नहीं रहता। अप्रार्थी के पिता की 'गांव लिखमीदेसर में 65.15 बीघा भूमि बापेऊ में 68.08 बीघा भूमि थी जिसमें अप्रार्थी का 1/3 हिस्सा बनता है। अप्रार्थी ने बाद आवंटन मुतनजा भूमि को काश्त भी नहीं किया है जोकि आवश्यक था। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को दिनांक 21.07.69 को तहसीलदार, बीकानेर द्वारा किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

5. हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किये है। वह प्रमाणित नहीं है जो निर्णय में नहीं पढ़े जा सकते। उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला व पूगल को निरन्तर लिखने व स्मरण पत्र देने के बावजूद आवंटन से सम्बन्धित कोई रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। वकील प्रार्थी ने भी आवंटन से सम्बन्धित आवंटन आदेश अथवा किस आदेश को चेलेन्ज किया है, उसकी प्रमाणित प्रतियां वर्ष 2007 से लेकर आज तक प्रस्तुत नही की है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन नियम(कृषि प्रयोजनार्थ) 1970 की विस्तृत जांच करवायी जाना हम न्यायोचित पाते है।

6. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र की प्रति मय अनुलग्नको के तहसीलदार, पूगल को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमो के परिपेक्ष्य में प्रकरण की विस्तृत जांच करे। प्रकरण अगर तथ्य छुपाकर विधि विरूद्ध आवंटन का बनता है तो एक माह में प्रमाणित दस्तावेजो के साथ आवश्यक रूप से पुनः प्रस्तुत करे।

7. आदेश आज दिनांक **16.03.2020** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर

जिला कलक्टर,